न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

ील संख्या:—30/2019

.सी.एम.एस .संख्या:— 2019/00086 (225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. आशा कंवर बेवा सत्येन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी खोह तहसील सपोटरा जिला करौली ।
2. अर्जुन सिंह पुत्र सत्येन्द्रसिंह जाति राजपूत
3. करण सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये संरक्षिका खुद मां आशा कंवर बैवा सत्येन्द्र सिहं जाति राजपूत निवासी खोह तहसील सपोटरा जिला करौली।

.........अपीलांटस।

बनाम

1. गिर्राज सिंह पुत्र नरसिंह
2. भूर सिंह पुत्र नरसिंह
   जातियान राजपूत निवासी खोह हालवासी।
3. विजेन्द्र सिंह पुत्र गिर्राज सिंह बाजणी तलाई श्री रामनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 31 सांगानेर जयपुर।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली।
5. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा अमरगढ तहसील सपोटरा जिला करौली।

.....रेस्पोंडेन्टस।

उपस्थित:—

1. श्री धीरेन्द्र पाल सिंह अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री विष्णु चंद बंसल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 03।
3. पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 13.02.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सपोटरा जिला करौली ... दायर राजस्व प्रार्थना पत्र 04/2017 बउनवान आशा ... बनाम गिर्राज सिंह में पा... निर्णय दिनांक 18.06.2019 के विरुद्ध अंतर्गत धारा ... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने वाद के पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया कि विवादित आराजीयात कुल रकबा 80 बीघा 14 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 01 ता03 पुश्तैनी खातेदारी की आराजीयात है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज नरसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी खोह के नाम से चली आ रही है। नरसिंह प्रार्थी नं0 01 के सायला ससुर है। उक्त आराजीयात का अप्रार्थी सं0 01 ने पूर्व से ही अपना हिस्सा मौके पर 1/2 बाहमी बंटवारा करके अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात खोह बांध डूब मे आ जाने से मुआवजा सरकार द्वारा खातेदार को दिया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 01 से अपने हिस्से की आराजी का दिनांक 02.02.2017 को बंटवारा अनुसार अपने नाम कराने कराना चाहते है लेकिन अप्रार्थी सं 01 इसके लिए इंकार करता है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। मातहत अदालत ने दिनांक 18.06.19 को निर्णय पारित करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जा रही है।

अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात अपीलार्थीगण द्वारा अपने पुश्तैनी आराजीयात जो कि उनके पूर्वज नरसिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी एवम् स्वामित्व व आधिपत्य की थी जो कि अपीलार्थी संख्या 01 के दादी ससुर थे जिनके फौत होने के उपरान्त उक्त आराजीयात नरसिंह के दोनो पुत्र गिर्राज सिंह एवम् भूरसिंह रेस्पोडेन्टस् संख्या 01 व 02 के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में अमल दरामद हो गयी। वर्तमान में इन्हीं के नाम उक्त आराजीयात चली आ रही हैं। रेस्पोडेन्टस् संख्या स01 गिर्राज सिंह के दो पुत्र रेस्पोडेन्टस् संख्या 03 एवम् अपीलार्थी संख्या 01 के पति सत्येन्द्र सिंह थे, सत्येन्द्र सिंह की फौत होने के उपरान्त उनकी बेवा अपीलार्थी संख्या 01 एवम् उनके पुत्र अपीलार्थी सं0 02 व 03 है जो कि नाबालिग है। जैर आराजीयात पुश्तैनी होने के उपरान्त भी मातहत अदालत ने अपीलांटस्/ वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। नाबालिग के हितों की रक्षार्थ न्याय मित्र की हैसियत न्यायालय स्वयं या वादार्थ संरक्षक नियुक्त कर नाबालिग के हितों की रक्षा किया जाना जरूरी था जिनके हितों को अनदेखा कर निर्णय मनमाने तरीके से पारित कर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दिया। अतः मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सपोटरा का निर्णय दिनांक 18.06.2019 अपास्त कर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोन्डेन्ट्स को सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:05 IST
Reason: SelfAttested

...ील प्राधिकारी
...माधोपुर

Scanned with CamScanner

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालत ने अपने निर्णय की फाईन्डिंग में उक्त आराजीयात खोह सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने से हितबद्व खातेदारों का मुआवाजा राशि का वितरण किया जाना एवम् भूमि का सिंचाई विभाग के नाम दर्ज होने का अभिकथन किया। जबकि उक्त आराजीयात वर्तमान में रेस्पोडेन्टस् के नाम अमल दरामद है एवम् अपीलार्थीगण का जैर आराजीयात में एवम् अवार्ड राशि में हिस्सा निहित है जिसको मातहत अदालत द्वारा अनदेखा कर निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्व होने से खारिज होने योग्य हैं। मातहत अदालत द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का सही से अवलोकन नही किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि अपीलांटगण ने अपील में कोई सजरा पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि अपीलांटगण का उक्त आराजीयात पर कोई हक है अथवा नही। विवादित आराजीयात खोह बांध के डूब क्षेत्र में आ रही है जिसका मुआवजा वितरण भी किया जा चुका है तथा कुछ मुआवजा दिया जाना है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सपोटरा द्वारा पारित निर्णय उचित फरमाया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2073—2076 बाके ग्राम खोह पटवार हल्का क्षेत्र कालागुढ़ा तहसील सपोटरा में स्थित आराजी खसरा नं० 112, 113, 116, 185, 186, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 292 293 294 296, 297, 298, 299, 300. 315, 316, 324, 344, 346, 348, 361, 396, 463, 539, 540, 558, 559, 560, 561. 562 563, 564, 566, 567, 568, 593, 595, 596, 755, 756, 757 कमसा किता 53 कुल रकबा 80 बीघा 14 बिस्वा गिर्राजसिंह पुत्र नरसिंह हिस्सा 1/2 भूरसिंह पुत्र नरसिंह हिस्सा 1/2 कोम राजपूत सा देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। संवत् 2024 से 2025 में उक्त आराजीयात नरसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पैतृक है। प्रार्थना पत्र के जिम्मन नंबर 03 अंकन अनुसार रेस्पोडेन्ट 03 व अपीलांटगण रेस्पोडेन्ट 01 के वंशज है [illegible] आधार पर विवादित आराजीयात के 1/4 हक हिस्से के हकदार है।

...ल प्राधिकारी
...माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner